

:- संशोधन आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/168 दिनांक 05.05.09 में क्रम संख्या 3 पर अंकित डा0 प्रकाश कुमार, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर डा0 राकेश कुमार, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी पडा जावें। अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/ 173

दिनांक : 11-5-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी., मुख्यालय।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-अजमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 10.05.09 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुये कार्य मुक्त करें।
6. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय संबंधित की वेबसाइट पर तुरन्त डलवाने का श्रम करें।
8. आदेश पत्रावली।



अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर।